



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)  
Email : [ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in](mailto:ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in)



क.रा.बी.नि. होस्पिटल, अंकलेधर,  
प्लोट नं. H3012, 500 क्वाटर पास,  
अंकलेधर, जि. ભરૂચ  
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लॉट स. H3012,  
500 क्वाटर के पास, अंकलेधर, जो. भरुच  
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500  
Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch  
Website : [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in)

ई फाइल संख्या: 295640(प्रशासन)

दिनांक: 28-02-2026

## परिपत्र/Circular

विषय: अधिकारियों / कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निस्तारण के संबंध में।  
Subject: Reg. Settlement of Staff Medical Reimbursement Bills.

सक्षम अधिकारी ने आदेश दिया है कि अब से अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का निस्तारण एसएसटी शाखा के स्थान पर नकद शाखा के माध्यम से किया जाएगा।

Competent authority has ordered that henceforth all staff medical reimbursement bills shall be settled through the Cash Branch instead of the SST Branch.

आवश्यक होने पर दावे के निस्तारण से पूर्व एसएसटी शाखा की राय/टिप्पणी प्राप्त की जा सकती है।

If required, the opinion/remarks of the SST Branch may be obtained before settlement of the claim.

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें।

All concerned are requested to take note of the above instructions and ensure strict compliance with immediate effect.

यह परिपत्र चिकित्सा अधीक्षक की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है / This circular is Issued with the approval of Medical Superintendent.

(कुमार कुंजन)

उप निदेशक-प्रशासन

सेवा में / To,

- सूचना पट्ट / Notice board.
- नगद व एसएसटी शाखा, क.रा.बी.नि अस्पताल – अंकलेश्वर / CRI & SST Branch, ESIC Hospital, Ankleshwar.